दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

युवक के खाते से 1 लाख से अधिक रकम पार

रायपुर (आरएनएस)। मोबाइल फोन चोरी कर एसबीआई के खाते से अज्ञात आरोपी ने युवक के खाते से 1 लाख 70 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी नारायण पटेल 44 वर्ष खम्हारडीह का रहने वाला है। बताया जाता है कि शास्त्री बाजार के पास अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी के जेब से मोबाइल चोरी कर उसके एसबीआई बैंक के खाते से 2 बार में 1 लाख 70 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

डीएवी स्कूल के छत का गिरा प्लास्टर, 2 बच्चों को आई चोटे

भिलाई (आरएनएस)। बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर-2 स्थित डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में आज सुबह सवा 11 बजे कक्षा 4 की क्लास रूम की छत का अचानक प्लास्टर गिरने से हडक़ंप मच गया। क्लास चल रही थी तभी यह घटना हुई। दो बच्चे समर और राघव को मामूली चोट आई है जिन्हें स्कूल की प्राचार्या प्रियंका शुक्ला ने तत्काल स्टाफ की मदद से बच्चों को हास्पिटल भिजवाया और पैरेंट्स को खबर की। फिलहाल क्लास रूम को बंद कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम भिलाई की टीम भी मौके पर पहुंची और क्लास रूम की बिल्डिंग का भौतिक निरीक्षण किया। दुर्ग जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से लेखाधिकारी राजेश ओझा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि डीओ साहब के द्वारा फोन पर जानकारी दी गई कि सेक्टर-2 स्कूल में छत का छज्जा गिरा जिससे बच्चे घायल हो गए हैं। उनके निर्देश पर मैं स्कूल में उपस्थित हुआ और जिस कमरे में यह घटना घटित हुई उस कमरे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और देखा कि एक हिस्सा जो है छत का, वो गिरा हुआ है और इसके कारण वहां बैठे दो चौथी क्लास के बच्चे राघव और समर के हाथों में हल्की चोट आई है।

बेच रहे थे प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल, दो आरोपी गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। दुर्ग जिले की भिलाई पुलिस ने अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली कैप्शूल का विक्रय करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 1072 नग प्रोकर्स ओ एच एम स्पा नशीली कैम्सूल जप्त किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन पर जिले में चलाये जा रहे संकल्प अभियान के तहत अवैध नशीली कैप्सूल बेचने वाला को धरपकड अभियान के तहत कठोर कार्यवाही किये जाने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में मुखबिरों की सूचना पर दिनांक 13-09-204 को घटना स्थल बैकुण्ठ धाम मैदान मंच के पास कैम्प 02 भिलाई मे आरोपी मोहम्मद अरमान राईन उर्फ चिल्ली पिता स्व. मोहम्मद इमरान उम्र 33 वर्ष निवासी शारदा पारा किशन चौक अमर टेलर के पीछे कैम्प 02 भिलाई थाना छावनी तथा राजेश सिंह भुमिहार पिता स्व. राजवीर सिंह भूमिहार उम्र 37 वर्ष साकिन बैकुण्ठ धाम मंदिर के पीछे कैम्प 02 भिलाई थाना छावनी दुर्ग को अवैध रूप से नशील कैम्सूल रखकर बिक्री करते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अरमान राईन के कब्जे से 720 नग कैप्सूल एवं आरोपी राजेश सिंह भुमिहार के कब्जे से 352 नग कैप्सूल नग ओ चएम नशीली कैप्सूल कीमत 10700 रुपए जप्त किया है। मामले में आरोपियो के विरूद्ध थाना छावनी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

विश्वकर्मा जयंती 17 को श्रमिक सम्मेलन का होगा आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 57 हजार श्रमिकों को 49.43 करोड़ राशि का डी.बी.टी. के माध्यम से करेंगे वितरण

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 'श्रमिक सम्मेलन' में 57 हजार से अधिक पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 49 करोड़ 43 लाख 52 हजार 294 रूपए केन्द्रीकृत डी.बी.टी. के माध्यम से वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम आयोजित होगा।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 47 हजार 726 निर्माण श्रमिकों 38 करोड़ 37 लाख 10 हजार 652 रूपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 6873 श्रमिकों को 9 करोड़ 86 लाख 58 हजार 500 रूपए एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 2496 श्रमिकों को 1 करोड़ 19 लाख 83 हजार 142 रूपए की राशि डी.बी.टी. के जरिए वितरण करेंगे। इस तरह कुल 57 हजार 95 श्रमिकों को कुल राशि 49 करोड़ 43 लाख 5 हजार 229 रूपये का वितरण केन्द्रीयकृत डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 47 हजार 726 लाभार्थियों को कुल 38 करोड़ 37 लाख 10 हजार 652 रूपए का वितरण किया जाएगा। जिसमें मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत 5793 लाभार्थियों को 11 करोड़ 58 लाख 60 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 8181 लाभार्थियों को 3 करोड़ 3 लाख 8 हजार 652 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 6171 लाभार्थियों को 2 करोड़ 15 लाख 34 हजार 288 रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत 125 लाभार्थियों को 9 लाख 79 हजार 600 रूपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9749 लाभार्थियों को 1 करोड़ 84 लाख 87 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 576 लाभार्थियों को 73 लाख 67 हजार 612 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 1 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत 3653 लाभार्थियों को 54 लाख 79 हजार 500 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 279 लाभार्थियों को 2 करोड़ 83 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 6517 लाभार्थियों को 13 करोड़ 3 लाख 40 हजार रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 708 लाभार्थियों को 1 करोड़ 41 लाख 60 हजार रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता राशि भुगतान योजना के अंतर्गत 5941 लाभार्थियों को 79 लाख 94 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत 28 लाभार्थियों को 28 लाख रूपए का डी.बी.टी. के माध्यम से वितरण करेंगे।

इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 6873 लाभार्थियों को कुल 9 करोड़ 86 लाख 58 हजार 500 रूपए का वितरण किया जाएगा। जिसमें असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना के 3085 लाभार्थियों को 6 करोड़ 17 लाख रूपए, असंगठित कर्मकार मृत्य एवं दिव्यांग सहायता योजना के 322 लाभार्थियों को 3 करोड़ 22 लाख रूपए, असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना के 3463 लाभार्थियों को 46 लाख 8 हजार 500 रूपए, ई-रिक्शा सहायता योजना के 3 लाभार्थियों को 1 लाख 50 हजार रूपए का वितरण करेंगे।

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 2496 लाभार्थियों को 1 करोड़ 19 लाख 83 हजार 142 रूपए का वितरण करेंगे। जिसमें शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के 504 लाभार्थियों को 22 लाख 42 हजार रूपए, निःशुल्क सायकल वितरण योजना के 1427 लाभार्थियों को 52 लाख 17 हजार 342 रूपए, निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना के 562 लाभार्थियों को 44 लाख 38 हजार 800 रूपए एवं खेलकूद प्रोत्साहन योजना के 3 लाभार्थियों को 85 हजार रूपए का वितरण केन्द्रीयकृत डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा।

दोपिहया वाहन चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । आरएनएस

राजधानी रायपुर की गंजथाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से चोरी की दुपहिया बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार होटल गोल्डन हेरिटेज नहरपारा में कुक का कार्य करने वाले कलविन्दर सिंह ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपनी दोपहिया वाहन यामहा आर 15 क्रमांक सी जी/04/एच पी/6233 को दिनांक 25.08.2024 को शाम करीबन 4.30 बजे लोधीपारा शीतला माता मंदिर के पास होटल मालिक के घर के सामने लॉक कर खड़ी कर अंदर चले गया था, उसके पश्चात् रूम से होटल जाने के लिए निकला तो देखा कि उसकी दोपयिहा वाहन नही थी, आस-पास पता किया किन्तु पता नही चला। जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 303(2) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यो द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ उसके आसपास लगे सी.सी. टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिपत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी कुशव नाईक निवासी नहरपारा गंज की पतासाजी कर पकडक़र कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी जुगल खिक्खा के साथ मिलकर चोरी करना बताने के साथ-साथ दोपहिया वाहन को रेलवे मोटर साईकल स्टैण्ड में छिपाकर रखना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी जुगल खिक्खा की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।

अनाचार के आरोपी को 20 साल कैद की सजा

कोरबा । आरएनएस

कोरबा जिले में नाबालिग को बहला-फुसला अपहरण कर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के आरोप में कथित आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से न्यायालय ने दंडित किया गया है।

जानकारी के अनुसार कथित आरोपी पर आरोप हैं कि कोतवाली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता को अपहरण कर विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से शहर से अन्यत्र ले जाकर एक से अधिक बार बलात्संग किया। इस संबंध में पीड़िता की माता ने थाना कोतवाली में पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान गवाहों के कथन के आधार पर पीड़िता को कथित आरोपी के कब्जे से पठानकोट में बरामद किया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराने पर चिकित्सक ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने की पुष्टि की।

विशेष न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी (पाक्सो) डॉ. ममता भोजवानी के द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय में यह पाया गया कि कथित आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को उसके माता-पिता या वैध संरक्षक के सहमति के बिना ले जाकर अपहरण करने, पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए उसके साथ बलात्सँग करने का दोषी है। उसको इस विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी के द्वारा धारा 366, आईपीसी में 7 वर्ष एवं 3000 रुपए अर्थदंड, धारा 376 (2) (1) 376 (3) आईपीसी एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 5 (8) सहपठित धारा 06 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

7 गावों के 7 सौ से अधिक किसानों के लिए 98 लाख 38 हजार रूपये जारी

मुख्यमंत्री जनदर्शन का मिला सीधा लाभ, किसानों को मिली बड़ी राहत

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन का सीधा लाभ आमजनों को मिल रहा है। जनदर्शन में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप बलोदाबाजार जिला प्रशासन ओला वृष्टि से प्रभावित फसल क्षति हेतु सोनाखान क्षेत्र अंतर्गत 7 गावों के 772 किसानों के लिए 98 लाख 38 हजार 528 रूपये जारी किया है। जिसमें ग्राम सुखरी के 79, छतवन 174, देवगांव 44, गनौद 59, कुशगढ़ के 156 एवं कुशभाटा के 174 प्रभावित किसान शामिल है। उक्त सभी किसानों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम राशि तहसीलदार सोनाखान के द्वारा जमा करा दिया गया है। उक्त राशि मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

गौरतलब है की 2023 में ग्राम नगेड़ा के आसपास ग्रीष्मकालीन धान का फसल लगा हुआ था जो पूरी तरह से पक चुका था। मई माह में जोरदार ओलावृष्टि हुआ जिससे धान का फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसल के मुआवजा हेतु मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर को भी आवेदन बड़ी संख्या में किसानों द्वारा दिया गया था। उसी समय ओलावृष्टि हुए आस पास के गांवों में कलमीदादर, बानीखार, देवरी, नगेड़ी, सहित कुल 33 गांवों को मुआवजा मिल चुका था। पर अन्य गांवों का मुआवजा बचा हुआ था जिसे अब जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 1068.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर । आरएनएस

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 1068.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 14 सितम्बर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2280.3 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 547.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 976.0 मिमी, बलरामपुर में 1411.0 मिमी, जशपुर में 837.2 मिमी, कोरिया में 962.8 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 976.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 908.9 मिमी, बलौदाबाजार में 1122.1 मिमी, गरियाबंद में 1014.1 मिमी, महासमुंद में 851.4 मिमी, धमतरी में 975.2 मिमी, बिलासपुर में 929.1 मिमी, मुंगेली में 1044.8 मिमी, रायगढ़ में 953.2 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 619.6 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1129.4 मिमी, सक्ती 948.4 मिमी, कोरबा में 1307.8 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1091.7 मिमी, दुर्ग में 629.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 849.3 मिमी, राजनांदगांव में 1074.1 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1195.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 813.5 मिमी, बालोद में 1126.1 मिमी, बेमेतरा में 569.8 मिमी, बस्तर में 1218.7 मिमी, कोण्डागांव में 1114.5 मिमी, कांकेर में 1359.8 मिमी, नारायणपुर में 1337.1 मिमी, दंतेवाड़ा में 1462.8 मिमी और सुकमा जिले में 1620.0 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

50 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ाये तीन अंतर्राज्यीय तस्कर

रायपुर । आरएनएस

राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स सेल तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए देवेन्द नगर सेक्टर 01 स्थित अस्पताल के पास से चारपहिया वाहन में गांजे की तस्करी कर रहे बलांगीर उड़ीसा निवासी तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया है तथा उनके पास से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी अपनी कार में गुप्त चेंबर बनाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 13.09.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक सेल की टीम को सूचना मिली कि थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत सेक्टर 01 स्थित अस्पताल पास कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में गांजा रखे है तथा कहीं जाने की फिराक में है।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन अजय कुमार(भा.पु.से) एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को गांजा के साथ रंगे हाथ पकडऩे निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। चारपहिया वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे जिन्होने पूछताछ में अपना नाम शंकर छतरिया, कुबेर महानंद एवं एन. सुभाष निवासी बलांगिर उड़ीसा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा चारपहिया वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में चैम्बर बना होना पाया गया, चैम्बर को खोलने पर उसमें गांजा रखा होना पाया गया।

गांजा के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा गांजा को बलांगीर उड़ीसा से लाना बताया गया है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 किलो 100 ग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त तीन नग मोबाईल फ ोन एवं एक चारपहिया वाहन क्रमांक ओ डी/03/एक्स/3261 को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 5 लाख का ईनामी नक्सली ढेर

1 नग हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामाग्री बरामद

सुकमा । आरएनएस

जिला सुकमा के थाना चिंतागुफा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तुमालपाड के जंगल-पहाड़ी में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 05 लाख का ईनामी नक्सली मारा गया है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से नक्सली का शव तथा 1 नग हथियार सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामाग्री बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में जिला सुकमा थाना चिंतागुफा क्षेत्रान्तर्गत छोटेकेड़वाल, बड़ेकेड़वाल, सिंघनमडग़ू, तुमालपाड़ व आस-पास क्षेत्र में कोंटा एरिया कमेटी एवं पीएलजीएल बटालियन के नक्सलियों की उपस्थिति की आ-सूचना पर दिनांक 13.09.2024 को थाना चिंतागुफा क्षेत्रान्तर्गत कैम्प करीगुड़म से डीआरजी एवं बस्तर फाईटर की संयुक्त पार्टी सूचना स्थल नक्सली गस्त सर्चिंग हेतु रवाना हुए थे, कि अभियान के दौरान दिनांक 14.09.2024 के प्रात: लगभग 08:30 बजे तुमालपाड़ के जंगल-पहाड़ को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि पूर्व से घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को जान से मारने व हथियार लूटने के नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे सुरक्षाबलों द्वारा भी यथा-स्थान पोजिशन लेकर आत्मरक्षार्थ में जवाबी कार्यवाही मे फायरिंग किया गया।

सुरक्षा बलों के जवाबी कार्यवाही से सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव व नक्सली अपने आपको घिरता हुआ देखकर जंगल-पहाड़ी का आड़ लेकर भाग खड़े हुए। तद्पश्चात घटना स्थल की सर्चिंग करने पर 01 अज्ञात पुरूष नक्सली का शव व शव के पास 01 पिस्टल मय 03 नग जिंदा राउण्ड, 01 नग बायोफेम वायरलेस सेट, 01 नग काला पिट्ठू, जिसमें 01 नग टिफिन बम, 01 नग देशी ग्रिनेड, 02 नग बीजीएल सेल, 04 नग जिलेटिन रॉड, 04 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 01 नग कैमरा फ्लेश, 01 गुच्छा बिजली वायर, लगभग 01 मीटर नीला रंग का गांठ लगा हुआ कोर्डेक्स वायर, 01 मीटर लाल रंग का कोर्डेक्स वायर, 01 जोड़ी काली वर्दी, 01 नग केमोफ्लेस पेंट, 01 नग केमोफ्लेस कैप एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामाग्री बरामद किया गया।

उक्त पुलिस-नक्सली मुठभेड़ मे मारे गए नक्सली का शिनाख्तगी माड़वी कोसा ग्राम तोलेवर्ती थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा, नक्सल संगठन में पद प्लाटून 04 एसीएम (पीपीसीएम) ईनामी 05 लाख रूपये के रूप में किया गया।

उपरोक्त मारे गया नक्सली प्रतिबंधित नक्सल संगठन में जुडक़र विभिन्न नक्सली गतिविधियों जैसे पुलिस गस्त पार्टी की रेकी कर हमला करना, पुलिस पार्टी के आने-जाने वाले मार्गों पर स्पाईक/बम लगाना, मुख्य मार्गों को खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना, शासन-प्रशासन के विरूद्ध बेनर, नक्सली पर्चा-पाम्पलेट लगाने एवं अन्य घटनाओं में शामिल रहा है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियॉं की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अत: शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU